**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ**

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 10/2026

अनवान : –

1. हेमन्त शर्मा पुत्र शिवकुमार शर्मा उम्र 5 वर्ष नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता शशि पत्नी शिवकुमार पुत्री नवरतन शर्मा जाति ब्राह्मण साकिन मनदरपुरा पी.एस. खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल निवासी तारानगर जिला चूरू।
2. हिमांनी शर्मा पुत्री शिवकुमार शर्मा उम्र 7 वर्ष नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता शशि पत्नी शिवकुमार पुत्री नवरतन शर्मा जाति ब्राह्मण साकिन मनदरपुरा पी.एस. खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल निवासी तारानगर जिला चूरू।

– प्रार्थीगण

**बनाम्**

1. प्रेमप्रकाश पुत्र गोरीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. घड़सीराम पुत्र गोरीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. नन्दलाल पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. रामकुमार पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर जिला हनुमानगढ।

– अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.**

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायलान**
श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता गैरसायल

**निर्णय** **दिनांकः** 10/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के भूमि खाता सं. 273 के खसरा नं. 1049/2 तादादी 1.7320 हेक्टेयर, खसरा नं. 354/3 तादादी 1.0750 हेक्टेयर खसरा नं. 356 तादादी 8.0300 हेक्टेयर, खसरा नं. 82 तादादी 1.0370 हेक्टेयर, खसरा नं. 86 तादादी 3.1740 हेक्टेयर कुल तादादी 15.0480 हेक्टेयर भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 01 के उक्त 1/3 हिस्से में से प्रार्थीगण के पिता के 1/7 हिस्सा भूमि आती है जिसमें से 2/3 हिस्सा के प्रार्थीगण जन्म से हकदार है क्योंकि प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं. 1 हिन्दू विधि की मिताक्षरा पद्धति से शाषित होते है उपरोक्त खसरा नम्बर की कृषिभूमि दादालाई, मौरूसी जायदाद की अविभाजित पैतृक सम्पति है जिसमें अप्रार्थी सं. 1 के 1/3 हिस्से में प्रार्थीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा है। विवादित कृषिभूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 के मन में लालच आ गई है तथा वह भूमाफिया किस्म के लोगों से मिलकर प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को उनकी इच्छा के विरूद्ध बेचान करने पर आमदा हो गया है। उक्त कृषिभूमि दादालाई पैतृक व मौरूसी जायदाद की अविभाजित सम्पति होने की वजह से अप्रार्थी सं. 1 के नाम कृषिभूमि 1/3 हिस्सा में से प्रार्थीगण

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के पिता के 1/7 हिस्सा भूमि आती है जिसमें से 2/3 हिस्सा के प्रार्थीगण जन्म से हकदार है। उपरोक्त विवादित कृषिभूमि प्रार्थीगण के दादा अप्रार्थी सं. 1 प्रेमप्रकाश के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त विवादित कृषिभूमि प्रार्थीगण की दादालाई पैतृक व मौरूसी जायदाद की अविभाजित सम्पति होने की वजह से प्रार्थीगण उपरोक्त कृषिभूमि में अप्रार्थी सं. 1 का 1/3 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 के पौत्र व अप्रार्थी सं. 1 के जायज संतान पुत्र शिवकुमार के पुत्र है इसलिये अप्रार्थी सं. 1 के उपरोक्त विवादित 1/3 हिस्से की कृषिभूमि में प्रार्थीगण के पिता शिवकुमार का 1/7 हिस्सा कानूनन बनता है तथा प्रार्थीगण अपने पिता के 1/7 हिस्से में 2/3 हिस्सा के जन्म से खातेदार काश्तकार है। इस कारण प्रार्थीगण उपरोक्त विवादित 1/3 हिस्से की कृषिभूमि में से अपने पिता के 1/7 हिस्सा में से 2/3 हिस्से क अलग विभाजन करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 1 काफी लोभी व लालची तथा शराबी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो अन्य अपराधी से 2 ता 4 से मिलकर अपने नाम उपरोक्त विवादित 1/3 हिस्से की कृषिभूमि, जो प्रार्थीगण की दादालाई पैतृक व मौरूसी जायदाद की कृषिभूमि है को अपने नाम खातेदारी में दर्ज होने का फायदा उठाकर उक्त अपने नाम 1/3 हिस्से की कृषिभूमि को बेचकर उसके रूपये मौज मस्ती में उड़ाना चाहता है तथा उक्त कृषिभूमि में से प्रार्थीगण को उनके हक व हिस्से से वंचित करना चाहता है तथा प्रार्थीगण को एक इंच भूमि भी उपरोक्त कृषिभूमि में नहीं देना चाहता है जबकि उपरोक्त विवादित कृषिभूमि दादालाई पैतृक व मौरूसी जायदाद की अविभाजित सम्पति होने की वजह से उपरोक्त कृषिभूमि में प्रार्थीगण का भी जन्म (ठल ठपतजी) से हक व हिस्सा है लेकिन अप्रार्थी सं. 1 उपरोक्त कृषिभूमि में से प्रार्थीगण को उनका हिस्सा देने से स्पष्ट मना कर रहा है तथा उपरोक्त कृषिभूमि को ओने पोने दामों में विक्रय करके प्रार्थीगण को उनके हक व अधिकार से वंचित करने पर आमदा है जिसके लिये अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थीगण को एलानियां धमकी दी है कि उपरोक्त कृषिभूमि मेरे नाम है जिसमें मैं तुझे एक इंच भूमि नहीं दूंगा तथा मेरे नाम उक्त कृषिभूमि को किसी बदमाश व भूमाफिया गिरोह के व्यक्यिों को विक्रय करूंगा। अप्रार्थी सं. 1 जैसा की जाहिर करता है अपने इस नाकामयाब मन्सूबे में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्तिय क्षति होगी जिसका मुद्रा में किसी प्रकार का कोई मूल्याकंन नहीं होगा एव प्रार्थीगण के सिविल अधिकारों पर कुठाराघात होगा इसलिए प्रार्थीनी के लिए यह आवश्यक हो गया कि अप्रार्थीगण के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित करावे कि वह उपरोक्त कृषिभूमि को किसी को रहन, बैय, हस्तांतरण ना करें, ना ही ऐसा कार्य व अकार्य करें तथा ना ही प्रार्थीगण को बेदखल करें जिससे प्रार्थीगण के सिविल अधिकारों का कुठाराघात हो। लिहाजा यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर खिलाफ अप्रार्थीगण पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 01 अन्य अप्रार्थी सं. 2 ता 4 के साथ मिलकर उपरोक्त विवादित 1/3 हिस्से की कृषिभूमि दादालाई पैतृक व मौरूसी जायदाद की अविभाजित सम्पति होने से उपरोक्त कृषिभूमि में प्रार्थीगण का भी हक व हिस्सा है इसलिये अप्रार्थी सं. 1 उपरोक्त कृषिभूमि को रहन, बैय, किसी तरह से हस्तांतरण ना करें, ना ही प्रार्थीगण को बेदखल करें तथा ना ही उपयोग उपभोग में बाधा डाल जिससे प्रार्थीगण के अधिकारों का कुठाराघात हो तथा अप्रार्थी सं. 5 को भी वर्जित किया जावे कि वह अप्रार्थी सं. 1 के नाम उपरोक्त 1/3 हिस्से की कृषिभूमि का कोई दस्तावेज तस्दीक ना करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 273/272 के ख0न0 1049/2, 354/3, 356, 82, 86 की कुल 15.0480

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है में से प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सायलान ने यह दरख्वास्त जरिये कुदरती बली माता शशी पत्नि शिव कुमार के द्वारा जरिये सरक्षिका पेश किया गया है जो कि उक्त भूमि इन नाबालिगान के मार्फत प्राप्त कर उक्त भूमि का बैचान कर हड़प करना चाहते है और इस हेतुक के लिए उक्त दरख्वास्त जरिये बली माता पेश किया गया है। चूंकि संरक्षिका माता के द्वारा सिविल न्यायालयो में हम गैरसायलान के खिलाफ विभिन्स झुठे मुकदमे भरण पोषण दहेज एंव तलाक आदि के कर रखे है जो जैरकार भी है, तथा संरक्षिका माता पैतृक सम्पति जितना हक बच्चो का बनता है उसे बैचान करने का वायदा कर अने को ग्राहको को उक्त कृषि भूमि दिखा रही है। जिससे यह निश्चित है कि उक्त मुकदमा उसने अपने निजि फायदे के लिए व रूपये ऐठने के लिए किया है और सदभाविक कानून का फायदा उठाते हुये वह अपने नापाक फायदे को इन्जाम देना चाहती है यदि ऐसा हुआ तो बच्चो का भविष्य अन्धकार में निश्चित है। इस प्रकार सायलान किसी भी प्रकार कि घोषणा करवा पाने के अधिकारी नही है। उक्त भूमि (गैरसायल सं. 1) व जवाब देहिन्दा के पैतृक भूमि है इसे वह किसी भी सुरत मे बैचान नही करना चाहता है। सायलान द्वारा लगाये गये इलजाम झुठे व मनगढत है इस प्रकार सायलान किसी प्रकार के निषेधाज्ञा से गैरसायलान को पाबन्द करवापाने के अधिाकरी नही है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है। उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है है यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए सायल अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है लेकिन अप्रार्थी स0 1 द्वारा बिना नाजायज जरूरतो के भूमि के रहन, बैय किया जा रहा है।

जबकि अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण की माता ने शिवकुमार के विरूद्ध सिविल न्यायालयों में भरण पोषण, दहेज व तलाक आदि के मुकदमें करवा रखे है एवं प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता शिव कुमार को पक्षकार ही नही बनाया गया है जबकि प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता के हिस्सा में से अपने हिस्सा की घोषणा करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है एवं रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है।

पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त भूमि पैतृक भूमि

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
जोहर

होना साबित है लेकिन अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक प्रार्थीगण की माता ने प्रार्थीगण के पिता के विरूद्ध सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट तारानगर चुरू के समक्ष भरण पोषण हेतु वाद पेश कर रखा है एवं शिवकुमार को प्रार्थीगण की माता शशी शर्मा को 4000 रूपये प्रतिमाह अदा करने हेतु पाबन्द किया गया है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक प्रार्थीया द्वारा दहेज बाबत भी वाद कर रखा है। उक्त वाद व प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी स0 1 को पाबन्द करवाने एवं अपने हकों की घोषणा हेतु पेश किया है जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रेमप्रकाश के सभी वारिसान को पक्षकार ही नही बनाया गया है एवं माननीय सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की माता को भरण पोषण की राशि अदा करने हेतु शिवकुमार को भी पाबन्द किया गया है अत आवश्यक पक्षकरों के अभाव में प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 23.01.2026 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/06/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर